निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 81 वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), मध्याहन भोजन योजना, पिथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), मध्याहन भोजन योजना, पिथौरागढ़ के माह 04/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री योगेश त्यागी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.10.2016 से 27.10.2015 तक श्री एस.के.पांडे, लेखापरीक्षा अधिकारी (अंशकालिक पर्यवेक्षण 25.10.2016 से 26.10.2016) के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रितांशु श्रीवास्तव,लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 11.3.2015 से 24.3.2015 तक श्री हनुमान सिंह,लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2005 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः पिथौरागढ़ जिला के अंतर्गत आने वाले समस्त सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भारत सरकार द्वारा सहायतित मध्याहन भोजन योजना को क्रियान्वन कराना।

3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(-) बचत (+)
2013-14	मध्याहन भोजन योजना	881.07	1043.19	1655.99	268.28
2014-15		268.28	1062.57	1044.41	286.44
2015-16		286.44	746.57	911.22	121.79
2016-17		121.79	390.87	355.13	157.53

(ii) इकाई को बजट आवंटन कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक, मध्याहन भोजन योजना प्रकोष्ठ, देहारादून द्वारा किया जाता है

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अपर शिक्षा अधिकारी (बेसिक),मध्याहन भोजन योजना,पिथौरागढ़ को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अपर शिक्षा अधिकारी (बेसिक),मध्याहन भोजन योजना,पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह फरबरी 2015 एवं अक्टूबर 2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर की गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

शून्य

<u>भाग-II 'ब'</u>

प्रस्तर 1 : एफ.सी.आई. द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं जैसे मध्याहन भोजन योजना की क्रयों पर अप्रैल 2014 से अगस्त 2016 के दौरान ` 6.83 लाख VAT/Sales की वसूली करना।

Govt. of India/Ministry of Human Resource Development (MDM) Division) Letter no.-F.1-2/2008-Desk (MDM) dated 20 Jan 2009 provides the provision for exemption of payment of sales tax on the food grains supplied under Mid Day Meal Scheme. Also, Comptroller and Auditor General of India in his report No. PA 13 of 208 Union Govt. (Civil Performance Audit) regarding National Programme for Nutritional Support to Primary Education (Mid Day Meal) Scheme has categorically raised the objection of making huge payment on account of sales tax.

पिथौरागढ़ जनपद के मध्याहन भोजन योजना पोषित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल के मध्याहन भोजन योजना अभिलेखों की जांच में पाया गया की माह अप्रैल 2014 से अगस्त 2016 के दौरान एफ.सी.आई. द्वारा विभिन्न विद्यालयों की मध्याहन भोजन योजना क्रयों (Foodgrains) पर ` 6.83 लाख VAT/Sales Tax की वूसली की गयी जो कि भारत सरकार की MDMS Guidelines का उल्लघंन है। Auditee Entity ने पूछने पर उत्तर दिया की मामला राज्य स्तर से सम्बन्धित है। लेकिन यह नहीं बताया की जनपद स्तर पर क्या कदम लिए गए हैं। इसलिए Entity` का उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।

अतः एफ.सी.आई. द्वारा पिथौरागढ़ जनपद में केन्द्रपोषित येाजनाओं जैसे मध्याहन भोजन येाजना की क्रयों (Foodgrains) पर अप्रैल 2014 से अगस्त 2016 के दौरान ` 6.83 लाख VAT/Sales Tax की वसूली करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 : विद्यालयों में पड़े हुए निष्प्रयोज्य/अनुपयोगी बर्तनों **का नीलामी नहीं किए जाने के कारण राजस्व की** हानि **।**

मध्याहन भोजन योजना के दिशानिर्देशनुसार मध्याहन भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों को कीचेन उपकरण क्रय करने हेतु प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को उनकी आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। विद्यालय अपनी आवश्यकता अनुसार उक्त धनराशि से कीचेन उपकरण क्रय करते है जैसे: प्रेशर कुकर, पतीला, करछी, थाली/प्लेट, वॉटर फ़िल्टर, मसालेदानी आदि। पुनः 03 वर्ष से अधिक पुराने व अनुपयोगी बर्तनों के स्थान पर नवीन वर्तनों के क्रय/मरम्मत के लिए आवश्यकतानुसार विद्यालयों को धनराशि प्रेषित की जाती है। लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि के नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा मध्याहन भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों मे लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कुल धनराशि ` 75,85,000/-(2014-15) कीचेन उपकरण क्रय/मरम्मत करने हेतु प्रेषित किया गया। कार्यालय तथ विद्यालयों के लेखाभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विद्यालयों के द्वारा पुराने व अनुपयोगी बर्तनों को नीलाम/विक्री कर उससे प्राप्त धनराशि को शासकीय राजस्व खाते मे जमा नहीं किया जा रहा है तथा बर्तन विद्यालय स्तर पर पड़े हुए है जो कि एक प्रकार की शासकीय हानि है। यह स्वाभाविक सी बात है कि जो बर्तन पुराने हो जाते है तथा अनुपयोगी (निष्प्रयोज्य) हो जाते होंगे उन्हे नीलाम/विक्री कर दिया जाय। वित्तीय नियमानुसार कोई भी सामाग्री जो शासकीय धनराशि से क्रय किया जाता है तथा उसको निष्प्रयोज्य हो जाने पर नीलम किया जाना चाहिए तथा इससे जो भी धनराशि प्राप्त होती है वो राजस्व प्राप्ति होती है तथा यह धनराशि सरकार के राजस्व खाते मे जमा की जानी चाहिए जो की नहीं किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि प्रकरण राज्य स्तर से संबन्धित है, राज्य स्तर से इस क्रम में निर्देश प्राप्त हो जाने पर निर्देश जिला स्तर से उप शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों को दिये जाएंगे और विद्यालय जिस प्रकार खाली बोरों कि नीलामी से प्राप्त धनराशि को चालान द्वारा राजकोष में जमा कर रहे है उसी प्रकार वर्तन जो निष्प्रयोज्य है उनकी नीलामी कर प्राप्त धन को राजकोष में जमा करेंगे।

अतः विद्यालयों में पड़े निष्प्रयोज्य/अनुपयोगी बर्तनों का नीलामी नहीं किए जाने के कारण शासकीय हानि होने के प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान/जानकारी में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
196/2014-15	शून्य	1

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अपर जिला शिक्षा अधिकारी, मध्याहन भोजन योजना प्रकोस्ठ, पिथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**

2. **सतत् अनियमितताएः- शून्य**

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री शौकत अली,	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अपर जिला शिक्षा अधिकारी, मध्याहन भोजन योजना प्रकोस्ठ, पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय-महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र

<u>भाग–तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), मध्याहन भोजन योजना, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र